

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छोगो)

//विज्ञापन//

क्रमांक क / दो-11-5 / 2008 (Part-II)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 08.02.2022

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :—दिनांक 10/03/2022 के संध्या 05:00 बजे तक  
स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से

जिला न्यायालय कोरिया, बैकुण्ठपुर स्थापना अंतर्गत तृतीय श्रेणी (स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड—तीन) कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का पत्र क्र 011235 /2875/21-ब/छ.ग./2021 रायपुर, दिनांक 26.10.2021 तथा छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13.02.2020 के अनुसार अर्हता प्राप्त सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भारतीय नागरिक से जिला न्यायालय कोरिया बैकुण्ठपुर में दिनांक 10/03/2022 के संध्या 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

### रिक्त पदों का विवरण सामान्य स्थापना हेतु

क्र 0	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद					
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य					
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सीनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सीनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सीनिक	मुक्त	महिला	परिव्यांग	भूतपूर्व सीनिक		
1.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	02	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	सहायक ग्रेड-3 (सेल अमीन, आदेशिका लेखक, प्रतिलिपिकार)	03	-	-	-	-	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	योग-	06	-	-	-	-	03	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### टीप:-

- क. आवश्कतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
  - ख. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-
- स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिये –
- अ— वेतनमानः— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700–91300) ग्रेड वेतन 2800/-
- ब— शैक्षणिक योग्यता :-
- (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) ४०ग०/मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) प्रमाण—पत्र के साथ एम०एस० वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

**स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद के लिये –**

अ—वेतनमानः— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-७ (२८७००—९१३००) ग्रेड वेतन २८००/-

ब—शैक्षणिक योग्यता :-

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ४० प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम ४५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) ४०ग०/मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) प्रमाण—पत्र के साथ एम०एस० वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

**सहायक ग्रेड-३ के पद के लिये –**

अ—वेतनमानः— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-४ (५२००—२०२००) ग्रेड वेतन १९००/-

ब—शैक्षणिक योग्यता :-

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ४० प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम ४५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) ४०ग०/मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) प्रमाण—पत्र के साथ एम०एस० वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

**महत्वपूर्ण—** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन—पत्र भेजें। परीक्षा सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल ४०गो के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

### 3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेः—

- (1) आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में अभ्यर्थी चाहे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर सकता है।
  - (अ)— कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  - (ब)— कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) उम्मीदवार दिनांक ०१.०१.२०२१ को १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परंतु ३५ वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा ३५ वर्ष में ०५ वर्ष की छूट की अवधि कलेण्डर वर्ष २०२३ की समाप्ति तक लिए प्रदान की गयी है।
- (3) छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर क्रमांक एफ ३-२/२००५/१-३, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ३०.०१.२०१९ के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा ४५ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

### 4. उच्चतर आयु सीमा में छूट —

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 4(एक) (1)— यदि अभ्यर्थी ४०गो शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम ०५ वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 4(एक) (2)— ४०गो शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कजार्च या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारीयों तथा ४०गो राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा ४३ वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4(एक) (3)— ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

4(एक) (4)— ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

4(एक) (5)— महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4(एक) (6)— शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा हरा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधाव/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4(एक) (7)— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

4(एक) (8)— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उजनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4(एक) (9)— संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

4(एक) (10)— शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थितबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो) (1)— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**नोट:**— आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4(दो) (2)— विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र

भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- टीप— (1)— बिन्दु कमांक—4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।  
(2)— बिन्दु कमांक—4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु कमांक 01 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रमा पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (3) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट:— अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं नियोग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

## 5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुये आवेदन—पत्र बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुण्ठपुर में **दिनांक 10/03/2022 की संध्या 5:00** बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। दिनांक 10/03/2022 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व—प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

## 6. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया:—

स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी, तथा सहायक ग्रेड—3 के पद के लिए:—

1. उक्त पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। आवेदित पद (स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी, तथा सहायक ग्रेड—3) पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन वस्तुनिष्ठ समान्य ज्ञान की स्कीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

**हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :-** कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

**अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :-** कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

**सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु :-** कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

**मेरिट सूची:-** कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

**टीप:-** स्टेनोग्राफर हिन्दी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।

**7. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी:-**

प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

**8. अन्य आवश्यक सूचनाएः:-**

A. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया बैकुण्ठपुर (छोगो) को होगा।

B. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

C. समस्त पदों हेतु:- चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भृत्ये शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होते रहेंगे।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। उनकी नियुक्ति ४०ग० उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्त तथा आचरण) नियम 2017 के अध्यधीन रहेगा।

D. चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

E. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से होना चाहिए।

F. प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कर दी जावेगी, तथा जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया बैकुण्ठपुर (४०ग०) के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/korea> में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

G. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

H. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अविधि के पश्चात् “सूचना के अधिकार अधिनियम” के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

स्थान :— बैकुण्ठपुर

दिनांक :— 08 / 02 / 2022

सही/-  
अध्यक्ष  
चयन समिति  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरिया, बैकुण्ठपुर (४०ग०)

# आवेदन—पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर हिन्दी / अंग्रेजी / सहायक ग्रेड—तीन के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरिया, बैकुण्ठपुर छठगा०

नवीनतम पासपोर्ट आकार का  
फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित  
करें ।

जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है?

हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)  
यदि हां तो,

ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

9. अ. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हां/नहीं  
(यदि हां तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)  
यदि हां तो,  
ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : .....

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं  
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) : .....

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक : .....

12. रोजगार कार्यालय का नाम : .....

13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं

14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

--	--	--	--	--	--

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था  
में सेवारत है? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की  
सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

18. स्व प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :—

- |         |          |
|---------|----------|
| 1. .... | 2. ....  |
| 3. .... | 4. ....  |
| 5. .... | 6. ....  |
| 7. .... | 8. ....  |
| 9. .... | 10. .... |

### घोषणा — पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जाने योग्य होगी।

स्थान : .....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक : .....

(पूरा नाम एवं पता)

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....